

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



III/निगरानी/रमा/भूरा) 2017/3660

पुष्पेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह, उम्र 53 वर्ष, निवासी—ग्राम सिरमौर,  
तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

.....निगरानीकर्ता

## बनाम

1. श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह
3. श्रीमती दमयन्ती सिंह पत्नी स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह
4. पुष्पराज सिंह तनय स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह  
सभी निवासी—ग्राम सिरमौर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)
5. श्रीमती कान्ती सिंह पति श्री अरविन्द सिंह पुत्री स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह,  
निवासी—ग्राम मौहार, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना
6. श्रीमती मालती सिंह पति गिरजेश प्रताप सिंह पुत्री स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप  
सिंह, निवासी—ग्राम नौलखा, तहसील हड्डिया, जिला इलाहाबाद (उ0प्र0)
7. श्रीमती रमा सिंह पति स्व० शिवनाथ सिंह पुत्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह,  
निवासी—ग्राम गभुआनी, पोस्ट बगढ़ा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा
8. श्रीमती कल्पना सिंह पति महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्री स्व० हरिकृष्ण प्रताप सिंह,  
निवासी—ग्राम गभुआनी, पोस्ट बगढ़ा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा

विकास विंद वर्दमान

द्वारा आज दि. ६/१०/१७ को  
उत्तुत

वल्कर आफ कोटे ६/१०/१७  
ग्रामस्व मण्डल मंप्र ग्वालियर

## गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन विरुद्ध आदेश तहसीलदार सिरमौर  
जिला रीवा के विचाराधीन प्रकरण क्रमांक

५८/अ-२७/१६-१७ में पारित आदेश दिनांक 31.08.17

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू०रा०सं०१९५९ ई०।


मान्यवर,

प्रकरण को उत्भूत करने वाले तथ्य संक्षेप में यह है कि—

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू०रा०सं०१९५९ ई०।

(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियरअनुवाति आदेश प्रष्ठप्रकरण क्रमांक III/विभा-17/क्र.1/वा/3660पुस्तक/मानली

| स्थान तथा<br>दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं<br>अभिभाषकों के<br>हस्ताक्षर |
|---------------------|--|--|
| ०१/०१/१९            | <p>आवेदक की ओर से श्री <u>विलाम्बित अधिवक्ता</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार <u>किंवद्दन</u> के प्रकरण क्रमांक <u>५४/३१-२७/१६-१४</u> में पारित आदेश दिनांक <u>३१-८-१७</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>किंवद्दन</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२२/५/१९</u> को कलेक्टर जिला <u>किंवद्दन</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">संदर्भ</p>  |  |